

अपील क्रमांक 179/बो.प्र./नि.स./2022
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /09/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 179/बो.प्र./नि.स./2022

अपीलार्थी

श्री डी.आर. यादव,
प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर,
दुर्ग (छ.ग.)
मो.नं. 9406008826

उत्तरवादी

श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख
अभियंता, जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

आदेश दिनांक 12.09.2022

- 1 अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप:

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र क्रं. 50, दिनांक 20.06.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र में संलग्न 2 शिकायत पत्र के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है के संबंध में नोटशीट, पत्राचार आदि की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत किया, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 1050, दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ।

(ii) जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रं. 6972, दिनांक 19.07.2022 को पत्र द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी कुल 8 पृष्ठों की है जो रु. 16/- जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 18.08.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया, किन्तु आवेदक/अपीलार्थी दिनांक 02.09.2022 को सुनवाई में अनुपस्थित रहा। आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक अवसर दिया जाकर अगली सुनवाई दिनांक 12.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें दी गई।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 12.09.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त वांछित जानकारी स्थापना शाखा से दिनांक 18.07.2022 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 8 पृष्ठों की है। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को 8 पृष्ठों के लिए 16/- मंगाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6972, दिनांक 19.07.2022 को प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के परिपालन में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2022 को राशि रु. 8/- **e-Mo (payment)** द्वारा जमा किया गया। किन्तु अधिकारी/कर्मचारियों के हड़ताल होने के कारण दिनांक 03.08.2022 को मनी रिसिप्ट प्राप्त होने पर उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/130/छ.ग./2022/7233, दिनांक 04.08.2022 द्वारा वांछित जानकारी आवेदक/अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियम अवधि से पूर्व आवेदक को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
- (ii) आवेदक/अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 6972, दिनांक 19.07.2022 द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी कुल 8 पृष्ठों की है जो रु. 16/- जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
- (iii) आवेदक/अपीलार्थी ने समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर अपील की जो दिनांक 18.08.2022 को प्राप्त हुई। प्रथम सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। द्वितीय सुनवाई दिनांक 12.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2022 को राशि रु. 16/-e-Mo (payment) द्वारा जमा किया गया। किन्तु अधिकारी/कर्मचारियों के हड़ताल होने के कारण दिनांक 03.08.2022 को मनी रिसिप्ट प्राप्त होने पर उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/130/छ.ग./2022/7233, दिनांक 04.08.2022 द्वारा वांछित जानकारी आवेदक/अपीलार्थी को दी गई। अतः अपील निराकृत किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(वीरेन्द्र तिवारी)

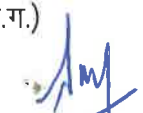
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./179/बो.प्र./नि.स./2022/8175

रायपुर, दिनांक 13/09/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)